

## कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित : श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।  
प्रार्थी : सर्वश्री नेशनल आयरन ट्रेडर्स, ब्रांच आफिस ऐशबाग, लखनऊ ।  
प्रार्थना-पत्र : 360/08, दिनांक 05.09.2008

### उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-31 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री नेशनल आयरन ट्रेडर्स, ब्रांच आफिस ऐशबाग, लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दिनांक 05.09.2008 में प्रार्थी द्वारा ' पशुचालित वाहनों में प्रयोग होने वाले रिम व धुरे ' पर कर की दर जाननी चाही गयी थी ।

2. उक्त प्रकरण में उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 17.01.2014 में यह निर्धारित किया गया कि पशुचालित वाहनों के रिम व धुरे उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I, II, III एवं IV में वर्गीकृत नहीं हैं अतः उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करयोग्य होंगे ।

3. जाँच पर पाया गया कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I के क्रमांक-1 की प्रविष्टि निम्न भाँति है :-

Agricultural implements including sprayers & drip irrigation equipments - manually operated or animal driven or tractor or power driven; spare parts and accessories thereof.

(A) Agricultural implements-manually operated or animal driven-hand hoe or khurpa, sickle, spade, baguri, hand-wheel hoe, Budding / grafting knife, secateur, pruning shear or hook, hedge shear, sprinkler, raker, sprayer, duster and sprayer-cum-duster, kudali or kudal, garden fork, garden hatchet, lopper, axe shovel, bill hook (single edge or double edge), soil injector, jandra, wheel barrow, winnowing fan or winnower, dibbler, gandasas, puddler, leveller or scoop, scraper, fertilizer seed broadcaster, sheller, groundnut decorticator, manure or seed screen, flame gun, seed grader, tasla, tangli, yoke, plough, harrow, cultivator or trifali, seed drill, fertilizer drill, seed-cum-fertilizer drill, planter, plank or float, ridger, ditcher, bund former, thresher or palla, transplanter, chaff cutter, Persian wheel and bucket chain or washer chain, crop yield judging hoops, pur or mhot, carts, reaper, mower, sugar cane crusher, cane juice boiling pan and grating roller and crowbar; Animal driven cart, tyre and tube thereof

(B) Agricultural implements-Tractor or power driven - plough, harrow, cultivator or tiller, seed drill, fertilizer drill or fertilizer-cum-seed drill, fertilizer broadcaster, planter, plank or float, leveller or scoop, bund former, ridger, puddler, ditcher, cage wheel, sprayer, duster or sprayer-cum-duster, roller, hoe, rotary hoe or rotovetor, reaper or mower, potato harvester or spinner, groundnut digger, shaker, thresher, chaff cutter, groundnut decorticator, seed grader, winnower, seed treater, poultry feed grinder and mixer, and transplanter.

## सर्वश्री नेशनल आयरन ट्रेडर्स / धारा-31 / पृष्ठ-2

उपर्युक्त प्रविष्टि के (A) तथा (B) में Agricultural implements को manually operated or animal driven तथा tractor or power driven के रूप में वर्गीकृत करते हुए इनका विस्तार किया गया है।

क्रमांक-1 (A) में Agricultural implements के इसी विस्तार में Animal driven cart भी समाहित है। जिसे मूल प्रविष्टि में पढ़ने पर इनके spare parts तथा accessories भी इसी प्रविष्टि में समाहित होना स्वतः स्पष्ट है।

4. उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 17.01.2014 में यह अंकित किया गया है कि पशुचालित वाहन व उसके पार्ट्स उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I पर अंकित कृषि उपकरणों में उल्लिखित नहीं है। यह निर्णय इस आदेश के प्रस्तर-4 में वर्णित उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची 1 के क्रमांक-1 पर वर्णित "manually operated or animal driven or tractor or power driven Agricultural implements" के आलोक में निर्गत है जबकि यह प्रविष्टि निम्नवत है -

"Agricultural implements including sprayers & drip irrigation equipments - manually operated or animal driven or tractor or power driven; spare parts and accessories thereof."

इस प्रकार इस प्रविष्टि में कृषि उपकरणों की Accessories तथा Parts को भी समाहित किया गया है और जैसा कि उक्त प्रस्तर में उल्लेख किया जा चुका है कि Animal driven cart को Agricultural implements में इसी प्रविष्टि में समाहित भी किया गया है। अतः आदेश दिनांक 17-1-2014 में उक्त परिप्रेक्ष्य में त्रुटि स्वतः स्पष्ट है तथा तदनुसार संशोधन योग्य है।

5. यह भी उल्लेख करना समीचीन होगा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री रतन इण्डस्ट्रीज (प्रा0) लि0 बनाम A.C.T.T. व अन्य 2004 UPTC 347 एवं सर्वश्री अनिल इण्डस्ट्रीज बनाम C.S.T. 1986 UPTC 552 के वाद में यह निर्णय दिया गया है कि रिम एवं हब पशुचालित वाहनों के पार्ट्स के अन्तर्गत करमुक्त होंगे।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 17.01.2014 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-31 के अन्तर्गत उपरोक्त सीमा तक संशोधित करते हुए यह निर्धारित किया जाता है कि पशुचालित वाहनों में प्रयोग होने वाले रिम व धुरे उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I के क्रमांक-1 पर अंकित प्रविष्टि के अन्तर्गत करमुक्त होंगे।

6. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 14 मार्च, 2014

ह0 / 14.03.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।